भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 121

12 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का कौशल विकास

***121. चौधरी मेहबूब अली कैसर**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई है; और

(ग) किसानों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“किसानों का कौशल विकास” के संबंध में दिनांक 12.12.2023 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसानों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं और उनका कार्यान्वयन कर रही है।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना के नाम से लोकप्रिय ‘विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता’ नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना, देश में विकेंद्रीकृत किसान-सुलभ प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है जिसका उद्देश्य विस्तार प्रणाली को पुनःजीवंत बनाने और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रोद्योगिकियां तथा अच्छी कृषि पद्धतियों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। विगत तीन वर्षों 2020-21 से 2022-23 और चालू वर्ष 2023-24 (नवम्बर, 2023 तक) के दौरान 48.07 लाख किसानों को एटीएमए के अंतर्गत प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है।

सरकार देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत इन कार्यक्रमों के उपयोग और क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन के अधिदेश के साथ कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। केवीके अपनी गतिविधियों के भाग के रूप में किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। केवीके ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 73.75 लाख किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत जुलाई 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की है जिसके तहत डीएएंडएफडब्ल्यू राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई), राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा विकसित अनुमोदित योग्यता पैक के अनुसार ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल

विकास योजना (पीएमकेवीवाई), एमएसडीई के तहत दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अंनर्तगत प्रशिक्षित/अनुकूलित अभ्यर्थियों की संख्या 9.72 लाख है।

सरकार ने वर्ष 2015 में ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और किसानों को अंशकालिक कौशल प्रशिक्षण (7 दिनों की अवधि का जिसमें एक दिन स्थानीय यात्रा के लिए शामिल है) प्रदान करके उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों (एसएएमईटीआई), एटीएमए और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से पूरे देश में एसटीआरवाई का कार्यान्वयन कर रहा है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) अनुमोदित घटक है, जिसे विभिन्न बागवानी फसलों के लिए स्थापित किया जा सकता है। इन केन्द्रों में 3.60 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्यों द्वारा किसानों के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, अध्ययन दौरों आदि के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में प्रावधान है।

इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत 'प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना और सुदृढ़ीकरण' नामक एक घटक रखा गया है तथा इसका उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन करना है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान, 52,080 प्रशिक्षुओं को कृषि यंत्रीकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। सरकार ने हाल ही में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना के क्षमता निर्माण घटक में सभी आवेदकों, जैसे व्यक्तियों और समूहों (स्व-सहायता समूहों/किसान उत्पादक संगठनों/सहकारी समितियों) के लिए 24 घंटे/3 दिन खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएफएमई योजना के तहत दिनांक 30 नवंबर 2023 तक कुल 54,767 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत, एसएचजी और किसानों को ड्रोन अनुप्रयोगों, प्राकृतिक खेती, कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों, जैविक खेती, श्रीअन्न (मिलेटस), मूल्य श्रृंखला विकास, सूक्ष्म सिंचाई, पशुधन प्रबंधन, मत्स्य पालन और गैर-लकड़ी वन उपज आदि का वैज्ञानिक संग्रह पर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। कार्यक्रम के तहत उपरोक्त गतिविधियों पर कुल 1,94,057 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था।

मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय 12,500 जलीय कृषि करने वाले किसानों और समुद्री मछुआरों के लिए प्रशिक्षण का संचालन करता है।

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा एटीएमए व कौशल प्रशिक्षणों के तहत निर्धारित निधियों की धनराशि, व्यय की गई धनराशि और प्रशिक्षित किसानों का विवरण **अनुबंध- I** दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं.121

अनुबंध-I

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा एटीएमए व कौशल प्रशिक्षणों के तहत निर्धारित निधियों, व्यय की गई धनराशि और प्रशिक्षित किसानों का विवरण

वर्ष	निर्धारित (रुपये करोड़ में)	व्यय की गईं निधियां (रुपये करोड़ में)	प्रशिक्षित किसान (सं.)
2020-21	845.07	632.67	1398571
2021-22	882.74	555.36	1372995
2022-23	732.56	478.05	1443795
2023-24*	611.23	367.62	635677
कुल	**3071.60**	**2033.70**	**4851038**

*नवंबर, 2023 तक

*****